# समाहरणालय पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
## (जिला विकास प्रशाखा)

## विज्ञापन

ऊर्जा विभाग, बिहार पटना की अधिसूचना सं0 3604 दिनांक 10.07.13 के अनुपालन में विद्युत कार्यप्रमण्डल रक्सौल एवं मोतिहारी द्वारा विद्युत ठीकेदारों को लाईसेंस देने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। उक्त आवेदन प्रपत्र N.I.C के बेवसाईट www.prdbihar.org&http://eastchamparan.bih.nic पर तथा संबंधित विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल के कार्यालय तथा जिला विकास शाखा से किसी कार्य दिवस को 10:00 बजें से 5:00 बजें तक प्राप्त किया जा सकता है।

**विद्युत ठीकेदारों को लाईसेंस देना:–**

(1) विद्युत ठीकेदार को लाईसेंस हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन फीस के साथ देना होगा। ठीकेदार दो परमिटधारी तारमिस्त्रीयों तथा एक प्रमाण पत्रधारी पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा। उसे संबंधित जिला के सचिव,लाईसेंसिंग बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर शपथ–पत्र भरना होगा।

(2) अस्वीकृत आवेदन पत्र पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा और उसकी फीस नहीं लौटायी जायेगी।

(3) लगातार 3 वर्षो तक नवीकरण नहीं किये गये लाईसेंस बोर्ड के अनुमति से रद्द कर दी जा सकेगें।

(4) ठीकेदार अनुज्ञा–पत्र की क्षमता एवं कार्य उनके नियोजित पर्यवेक्षक के क्षमता प्रमाण पत्र की सीमा के अन्तर्गत होगा।

(5) लाईसेंस की द्वितीयक प्रति बनाने के लिए मूल आवेदन (विहित प्रपत्र) में पूर्व के निर्गत लाईसेंस में वर्णित तथ्यों को भरकर शपथ पत्र एवं एफ0आई0आर0 की प्रति सहित आवश्यक शुल्क के साथ आवेदन जमा करना होगा।

(6) ठीकेदार अनुज्ञा–पत्र किसी फार्म अथवा किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर लिया जा सकेगा। व्यक्ति विशेष किसी फार्म या आवेदक के नाम पर अनुज्ञा–पत्र लेते है तो उन्हें पासपोर्ट साईस या स्टाम्प साईज के तीन रंगीन फोटों विहित प्रपत्र के साथ राजपत्रित पदाधिकारी के द्वारा अभिप्रमाणित कर दिया जाना होगा। इसके साथ उनके पहचान हेतु दो संभ्रान्त व्यक्तियों का परिचय भी देना होगा।

(7) आवश्यक उपकरणों में एक अर्थ टेस्टर एवं इंसुलेशन मेगर का रखना एवं सचिव, लाईसेसींग बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(8) यदि छानबीन और जॉच के बाद कोई व्यक्ति अथवा कोई लाईसेंस प्राप्त विद्युत ठीकेदार बोर्ड द्वारा असावधानी, क्षमता या इन शर्तो को भंग करने का दोषी पाया जाय तो लाईसेंसिंग बोर्ड ऐसे परमित, प्रमाण पत्र या लाईसेंस को निलंबित या रद्द कर सकेगा।

(9) **फीस :–** लाईसेंस प्राप्त पत्रों परमिटों के लिए ठीकेदार लाईसेंस हेतु प्रारंभिक फीस के रूप में 250 रूपयें भुगतान की जायेगी। इस विनिमय के अधीन भुगतान /सभी फीस जिलाधिकारी,पूर्वी चम्पारण के पदनाम से चेक,बैंक ड्राफ्ट या मनीऑडर द्वारा चुकाये जायेगें।

(10) पूर्णरूप से भरा हुआ आवेदन पत्र प्रभारी पदाधिकारी,जिला विकास शाखा, समाहरणालय,पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पदनाम से डाक द्वारा स्वीकार किये जायेगें। आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम तिथि 30.11.13 है। आवेदन पत्र पर स्पष्ट शब्दों में विद्युत ठेकेदार के लाईसेंस हेतु आवेदन पत्र अंकित होना चाहिए।

| | | |
|---|---|---|
| 23/10/13 | 23.x.13 | ह० |
| कार्यपालक अभियंता, | कार्यपालक अभियंता, | जिला पदाधिकारी, |
| विद्युत प्रमण्डल,रक्सौल। | विद्युत प्रमण्डल,मोतिहारी। | पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी। |

ज्ञापांक:– 976 /दिनांक:– 26.10.13

प्रतिलिपि:– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,बिहार,पटना को सूचनार्थ प्रेषित। विज्ञापन की 10 प्रतियॉ एवं इसका सी0डी0 संलग्न करते हुए अनुरोध है कि दैनिक समाचार पत्रों में उक्त विज्ञापन का प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

23/10/13 23/10/13 23.x.13

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।

**भारतीय विद्युत निगम 1956 के अधिनियम 45 के अन्तर्गत विद्युत ठिकेदार अनुज्ञा–पत्र स्वीकार करने की सरकारी शर्त्त 43 के अनुसार आवेदन–पत्र।**

1. संस्थान का नाम और पता.................................................................................................................

2. संस्थान के मालिक या साझेदार का नाम तथा पता.....................................................................................

3. संस्थान द्वारा भूत और वर्तमान काल में किये गये कार्यो का विवरण................................................................

4. अनुज्ञापन शुल्क 250 (दो सौ पचास) रुपये कैसे जमा हुआ, उसका विवरण.......................................................

5. अगर पहले अनुज्ञा–पत्र के लिए कोई आवेदन रद्द किया गय था तो उसका पूर्ण विवरणी........................

कम–से–कम इस राज्य द्वारा एक विद्युत क्षमता पत्र प्राप्त पर्यवेक्षक और दो तारकर्मी अनुमति पत्र प्राप्त यक्ति का नाम और संख्या होना अनिवार्य है।

1. विद्युत पर्यवेक्षक का नाम तथा उसका क्षमता प्रमाण–पत्र संख्या...........................................................

2. तारकर्मी अनुमति–पत्र प्राप्त व्यक्तियों के नाम.......................................................................................

(क).......................................................

(ख).......................................................

3. इन्सुलेसन मेगर की संख्या तथा निर्माणकर्त्ता का पूर्ण ब्योरा...................................................................

4. भर्थ टेस्टर की संख्या तथा निर्माणकर्त्ता का पूर्ण ब्योरा..........................................................................

5. शुल्क का भुगतान जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट / चेक / मनीऑर्डर द्वारा किया जायेगा।

---

मैं प्रमाणित करता हूँ कि जहाँ तक मेरा ज्ञान और विश्वास है, ऊपर दिये गये ब्योरे सहीं और सच है।

गवाह का हस्ताक्षर

..........................................

पता...................................

आवेदक का हस्ताक्षर

(गवाह के स्थान पर केवल राजपत्रित कर्मचारी का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है)